सं0- 1153/XXVIII-5-2010-212/2009

प्रेषक,

सुनीलश्री पांथरी
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग-5 देहरादून: दिनांक 12 जनवरी 2010

विषय- वित्तीय वर्ष 2009-10 में प्रथम अनुपूरक मांग द्वारा स्वीकृत अनुदान संख्या-12 में वचनबद्ध मदों हेतु आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 5प/1/25/2009/48005 दिनांक 30.12.09 के सन्दर्भ में एवं शासनादेश संख्या 05/XXVII(1)/2010 दिनांक 07.01.2010 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2009-10 में प्रथम अनुपूरक मांग द्वारा स्वीकृत धनराशि में से आयोजनेत्तर पक्ष में वचनबद्ध मदों हेतु संलग्नक विवरणानुसार अनुदान सं0-12 के अन्तर्गत आयोजनागत मदों में रु0 219386 हजार (रुपये इक्कीस करोड़ तिरानब्बे लाख छियासी हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त करते हुये आपको निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1. अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिये यह स्वीकृति दी जा रही है।

2. अप्रैल, 2009 से नये पदों के भरे जाने के फलस्वरूप होने वाले व्यय के सापेक्ष श्रेणीवार पदों (समूह क, ख, ग एवं घ) की सूचना विभाग द्वारा रखी जायेगी, जिससे वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत विभागवार श्रेणीवार भरे जाने वाले पदों तथा इसके सापेक्ष होने वाले व्यय की जानकारी प्राप्त हो सके।

3. व्यय करने के पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने के पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

--2

4. वित्त विभाग के शासनादेश सं0-205/XXVII(1)/2009 दिनांक 25 मार्च, 2009 में निहित निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित किया जायेगा।

5. जिन योजनाओं में विगत वर्ष की प्रतिपूर्ति प्राप्त की जानी अवशेष हो उनकी समस्त औपचारिकतायें तत्काल पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। भारत सरकार को समय से आहरित की हुई प्रतिपूर्ति के देयक प्रस्तुत किये जाय, इसके अभाव में प्रतिपूर्ति दावों के भुगतान में कठिनाई/विलम्ब न हो।

यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 05/XXVII(1)/2010 दिनांक 07.01.2010 के अनुपालन में जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,

(सुनीलश्री पांथरी)
उप सचिव

सं0 [illegible](1)/XXVIII-5-2010-212/2009 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी ।
2. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, माजरा देहरादून।
3. आयुक्त गढ़वाल/कुमाऊं मण्डल, उत्तराखण्ड।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड देहरादून।
6. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।
7. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
9. बजट राजकोषीय, नियोजन व संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
10. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0-3/नियोजन विभाग/एन0आई0सी0।
11. गार्ड फाईल।

संलग्न : यथोक्त

(सुनीलश्री पांथरी)
उप सचिव

शासनादेश संख्या 1153 /XXVII-5-2009-212/2009 दि0 12-01-2010 का संलग्नक

अनुदान संख्या-12

धनराशि हजार रू0 में

क्र. सं.	लेखाशीर्षक	आवंटित धनराशि
1.	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 01-शहरी स्वास्थ्य सेवायें-पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति 001-निदेशन तथा प्रशासन 03-मुख्यालय अधिष्ठान	
	01-वेतन	4000
	योग-2210-01-001-03	4000
2.	110-अस्पताल तथा औषधालय	
	03-एलोपैथी एकीकृत चिकित्सालय और औषधालय	
	01-वेतन	32000
	योग-2210-01-110-03	32000
3.	05-क्षय रोग के रुग्णालय (क्लीनिक)	
	01-वेतन	3000
	योग-2210-01-110-05	3000
4.	10-उच्च न्यायालय में चिकित्सालय की स्थापना	
	01-वेतन	500
	योग-2210-01-110-10	500
5.	11-ब्लड बैंक की स्थापना	
	01-वेतन	300
	03-महंगाई भत्ता	205
	योग-2210-01-110-11	505
6.	14-विधान सभा में रा0एलो0 औषधालय की स्थापना	
	01-वेतन	400
	03-महंगाई भत्ता	62
	06-अन्य भत्ते	9
	योग-2210-01-110-14	471
7.	16-सचिवालय में तथा उत्तराखण्ड निवास नई दिल्ली में रा0एलोपैथिक औषधालय की स्थापना	
	01-वेतन	130
	03-महंगाई भत्ता	22
	योग-2210-01-110-16	152
8	18-मुख्य चिकित्साधिकारी का अधिष्ठान	
	01-वेतन	13000
	45-महंगाई वेतन	110
	योग-2210-01-110-18	13110
9	20-महामहिम राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री आवास हेतु चिकित्सा व्यवस्था	
	01-वेतन	100
	योग-2210-01-110-20	100
10	2210-01-200-अन्य स्वास्थ्य सेवायें 03-प्रदेश में अन्धेपन की रोकथाम (केन्द्र पोषित 100 प्रतिशत)	
	01-वेतन	2500
	03-महंगाई भत्ता	400
	योग-2210-01-200-03	2900

अनुदान संख्या-12 धनराशि हजार रू० में

क्र. सं.	विवरण	मांगित धनराशि
11	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 03-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें-पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति 103-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 03-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना	
	01-वेतन	5000
	03-महंगाई भत्ता	8
	योग-2210-03-103-03	5008
12	2210-03-104-सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	
	03-सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना	
	01 वेतन	18500
	03 महंगाई भत्ता	950
	योग 2210-03-104-03	19450
13	2210-03-110-अस्पताल तथा औषधालय 08-क्षय रोग चिकित्सालय	
	01-वेतन	8000
	03-महंगाई भत्ता	500
	योग-2210-03-110-08	850
14	09-एलोपैथिक चिकित्सालय और औषधालय	
	01 वेतन	12000
	योग-2210-03-110-09	12000
15	10-टिहरी बांध प्रभावित क्षेत्र हेतु वैकल्पिक चिकित्सा सुविधा	
	01 वेतन	150
	योग-2210-03-110-10	150
16	11-ब्लड बैंक की स्थापना	
	01 वेतन	500
	योग-2210-03-110-11	500
17	17-राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालयों की स्थापना	
	01 वेतन	30000
	03-महंगाई भत्ता	48
	योग-2210-03-110-17	30048
18	18-ग्रामीण महिला चिकित्सालयों की स्थापना	
	01 वेतन	2800
	03-महंगाई भत्ता	11
	योग-2210-03-110-18	2811
19	2210-03-800-अन्य व्यय 03-प्रदेश में आयोग की सिफारिश के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का विकास	
	01 वेतन	3000
	03 महंगाई भत्ता	250
	योग-2210-03-800-03	3250
20	2210-06-लोक स्वास्थ्य 001-निदेशन तथा प्रशासन 03-अधिष्ठान व्यय	
	01 वेतन	747
	योग 2210-06-001-03	747

अनुदान संख्या-12

धनराशि हजार रू0 में

क्र. सं.	लेखाशीर्षक	आवंटित धनराशि
21	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 06-लोक स्वास्थ्य 003-प्रशिक्षण 03-सम्भागीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र	
	01 वेतन	860
	02-मजदूरी	315
	योग 2210-06-003-03	1175
22	04-राज्य क्षयरोग प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन केन्द्र	
	01 वेतन	119
	03 महगाई भत्ता	12
	योग 2210-06-003-04	131
23	2210-06-101-रोगों का निवारण तथा नियंत्रण 03-लोक स्वास्थ्य 0302-स्वास्थ्य अधिकारी	
	01 वेतन	3290
	योग 2210-06-101-03-0302	3290
24	0304-मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत शहरी क्षेत्रों में मच्छरों के स्रोतों के विनाश हेतु कार्यवाही अधिष्ठान	
	01 वेतन	10000
	योग 2210-06-101-03-0304	10000
25	04-महामारी निरोधक क्रियायें	
	01 वेतन	4500
	योग 2210-06-101-04	4500
26	05-मातृ एवं शिशु कल्याण	
	01 वेतन	45000
	03 महगाई भत्ता	2500
	48-महगाई वेतन	5
	योग 2210-06-101-05	47505
27	06-कुष्ठ रोगियों की सहायता	
	01-वेतन	3000
	योग 2210-06-101-06	3000
28	2210-06-102-खाद्य अपमिश्रण का निवारण 03-सरकारी जन विश्लेषक प्रयोगशाला	
	01 वेतन	1525
	योग 2210-06-102-03	1625
29	2210-06-104-औषधि नियंत्रण 03-ड्रग कन्ट्रोल	
	01 वेतन	1000
	योग 2210-06-104-03	1000
	वृहद योग	219386

(रूपये इक्कीस करोड़ तिरानबे लाख छियासी हजार मात्र)

(सुनीलश्री पांथरी)
उप सचिव